न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा, जिला कोटा (राज.)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
54 / 2018	06 / 08 / 2018	31 / 07 / 2023

उनवान

1. हेमराज पुत्र श्री चंदालाल, जाति कीर, निवासी गैंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
2. अमोलकचंद पुत्र श्री चंदालाल, जाति कीर, निवासी गैंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
3. मोहनलाल पुत्र श्री हरदेव, जाति कीर, निवासी गैंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
4. राजू पुत्र श्री सीताराम, जाति कीर, निवासी गैंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
5. ग्यारसीबाई पुत्री श्री सीताराम, जाति कीर, निवासी गैंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
6. पारी बाई पुत्री श्री सीताराम, जाति कीर, निवासी गैंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
7. नारायण पुत्र हरदेव, जाति कीर, निवासी गैंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र श्री रामरतन, जाति मीणा, निवासी फतेहपुर, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
2. रोहित पुत्र श्री देशराज, जाति मीणा, निवासी फतेहपुर, तहसील– पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
3. मेनका पुत्री श्री देशराज, जाति मीणा, निवासी फतेहपुर, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
4. शिवानी पुत्री श्री देशराज, जाति मीणा, निवासी फतेहपुर, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
5. किशकिन्धा बेवा देशराज, जाति मीणा, निवासी फतेहपुर, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक–31 / 07 / 2023

वादीगण द्वारा न्यायालय में वाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि–यह कि जमाबन्दी सम्वत 2035 सं 2038 के मुताबिक खसरा

उपखण्ड अधिकारी

नम्बर 105 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा कृषि आराजी वाके माल गैंता में खातेदार बद्री पुत्री गौरीशंकर जाति मीणा निवासी फतेहपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. के खाते दर्ज थी जमाबंन्दी सम्वत 2025 से 2028 संलग्न वाद पत्र है। यह कि खातेदार बद्री पुत्री गौरीशंकर मीणा द्वारा उक्त वर्णित कृषि आराजी खसरा नम्बर 105 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा वाके माल ग्राम गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. को जर्ये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1972 द्वारा वादीगणों को बेचान कर दिया गया तथा मौके पर कब्जा संभला दिया गया, जिसका पंजीयन उप–पंजीयक कार्यालय की पु.सं. 1 क्रम संख्या 35 पूं. संख्या 107, 108 पर दर्ज है, बेचान की गई उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण वादीगण के पक्ष में नामा. संख्या 1060 दिनांक 20.09.1982 द्वारा तस्दीक किया गया, तथा जिसकी पालना में जमाबन्दी सम्वत 2035 से 2038 मे उक्त कृषि आराजी पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज हुआ, तथा सन 1972 से आज तक वादीगण क्रय की गई उक्त कृषि आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। यह कि सेटलमेंट विभाग द्वारा कृषि आराजी का भू–प्रबन्धन किया गया तथा नये खसरा नम्बर 198 रकबा 1.30 है0 दर्ज किया गया, लेकिन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा खाते से वादीगण का नाम हटा कर, पूर्व खातेदार मृतक बद्री के वारिसान पुत्र प्रतिवादी क्रम 1 व 2 लगायत 5 के पिता व पति देशराज पुत्रान रामरतन का नाम दर्ज कर दिया गया इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गंभीर त्रुटि की गई है, राजस्व रिकार्ड मे फेरबदल करने का विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, तथा प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है, जमाबन्दी सम्वत 2035 से 2038 मिलान क्षेत्रफल, फोटो पति, विक्रय पत्र, संलग्न वाद पत्र है। यह कि वादीगण खाते व कब्जे काश्त की उक्त कृषि आराजी को चम्बल नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति अधि. द्वारा 0.80 है0 भूमि को अवाप्त किया गया जिसके उचित मुआवजा हेतु एक पत्र क्रम. संख्या 334 दिनांक 22.05.2018 को प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 5 को दिया गया तब जाकर वादीगण को अपने खाते की उक्त त्रुटि का पता लगने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ, तथा आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करके वादीगण को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु माननीय न्यायालय मे मजबूरन वाद पस्तुत करना पडा। यह कि प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 5 द्वारा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गद उक्त त्रुटि का फायदा उठाते हुये आवाप्त की गई उक्त कृषि आराजी का मुआवजा लेने को तत्पर है, जिसे न्यायहित में रोका जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। यह कि वाद आवश्यक प्रकृति का होने से समयाभाव में प्रतिवादी क्रम 6 को धारा 80 सी.पी.सी. के तहत नोटिस दिया जान सम्भव नहीं है, इसलिए धारा 80(2)सी.पी.सी. की प्रार्थना माननीय न्यायालय से की गई है। यह कि वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हे। यह कि वाद उचित कोर्ट फीस पर अवधि

मध्य प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र में विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 105 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 198 रकबा 1.30 है0, वाके माल ग्राम गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. पर से प्रति वादीगण 1 ता 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा आवाप्त की गई उक्त कृषि आराजी में से 0.80 है0 का मुआवजा वादीगण को दिलाये जाने के आदेश प्रदान करे मदानुसार डिक्री जारी कर पालना हेतु प्रतिवादी कम 6 को लिखा जावे तथा प्रतिवादी कम 1 ता 5 के खिलाफ इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उक्त विवादित आराजी में से आवाप्त की गई 0.80 है0 पर किसी भी तरह का मुआवजा न तो स्वयं प्राप्त करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे प्रदान करें।

वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण जर्ये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत कर वादीगण के कथनों का अस्वीकार करते हुऐ जवाब में विशेष कथन किया कि यह कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी के खातेदार कृषक है। वादीगण द्वारा कथित विक्रय पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पावधानों के विरूद्व होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। तथाकथित विक्रय पत्र से वादीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हुये है। यदि वादीगण द्वारा तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर कभी नामान्तरकरण दर्ज करवा भी लिया तो वह प्रतिवादीगण के हितों के विरूद्व होने व विधि विरूद्व होने से कोई अधिकार उत्पन्न नहीं करता है। यह कि वादीगण का वाद कथन कि खातेदार बद्री पुत्री गौरीशंकर मीणा द्वारा विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7/6/1972 द्वारा वादी गण को विक्रय कर दिया था से स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा कथित विक्रय पत्र मीणा जाति के व्यक्ति जो कि अनुसूचित जनजाति में आती है तथा वादीगण जो कि कीर जाति के है जो सवर्ण वर्ग में आते है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति द्वारा सवर्ण जाति को किया गया तथा कथित विक्रय पत्र विधि विरूद्व है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने चलने योग्य नहीं है। यह कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा दिलवाने हेतु माननीय न्यायालय से अनुतोष मांगा गया है। जिसको प्रदान करने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है इस कारण वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है।

दौराने वाद प्रतिवादी कम 1 ता 5 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. .एवं.151. सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर कथन किया कि–यह कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा मद न. 2 मे कथन किया है कि विवादित आराजी वादीगण द्वारा जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र 7/6/1972 द्वारा क्रय की है। वादीगण द्वारा कथित विक्रय पत्र का निष्पादन कभी

प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा नहीं किया गया है तथा वादीगण कीर जाति के है तथा प्रतिवादीगण मीना जाति के है जो कि अनुसूचित जनजाति में आती है। वादीगण द्वारा कथित विक्रय पत्र का निष्पादन मीना जाति के व्यक्ति के द्वारा कीर जाति सवर्ण के पक्ष मे किये जाने का कथन किया है। जो विधि विरूद्व है तथा विधि द्वारा वर्जित है। इस कारण वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण चलने योग्य नहीं है। यह कि वादीगण द्वारा वाद पत्र की मद न. 4 में कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण की 0.80 है0 भूमि अवाप्त की गयी है तथा जिसका मुआवजा प्रतिवादीगण को प्रदान किया गया है तथा वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष में मुआवजा वादीगण को दिलवाने का मांग की गई है जिसके सम्बध माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। बिना क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के वादीगण का वाद माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं है तथा वादीगण द्वारा प्रति कम 2 ता 4 के विरूद्व वाद प्रस्तुत किया है जो कि नाबालिक के विरूद्व वाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीणग का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वादीगण ने प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के प्रार्थनापत्र की मदों को अस्वीकार कर का निम्न आशय का जवाब प्रस्तुत कर किया कि दिनांक 19.06.1972 को चंदालाल, मोहन, सीताराम व नारायण पुत्र हरदेवा जाति कीर निवासी कीरपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा ने खसरा संख्या पुराना 105 रकबा 8 बीधा 4 बिस्वा मे तत्कालीन खातेदार बद्रीबाई पुत्री गौरीशंकर जाति मीणा निवासी गैंता से रकम 5000/रूपये मे खरीद कर तहसीलदार पीपल्दा के यहां बेचान रजिस्ट्री करवाई थी, उसके बाद में केता के पक्ष इन्तकाल नं. 1060 दिनांक 20.09.1982. को तस्दीक किया गया था, परन्तु किसी कारणवश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। यह कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 8 बीधा 4 बिस्वा के खातेदार है बाद से ही केतागण का कब्जा चला आ रहा है और उसके बाद उनके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है। यह कि कुछ समय बाद उक्त आराजी में से 5 बीघा यानि 0.80 है0 भूमि गैंता पुलिया में अवाप्त कर ली गई है तथा बताया भूमि 0.56 है0 पर आज तक वादीगण का कब्जा चला आ रहा है जिस पर वो काश्त कर रही है। यह कि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रतिवादी 1 ता 5 गण को एक पत्र 334 दिनांक 22.05.2018 को हेतु पत्र दिया गया जबकि अवाप्ति अधिकारी द्वारा यह पत्र वादीगण प्रार्थीगण को देना चाहिए था। यह कि बद्रीबाई केता प्रतिवादीगण की माता है, उसने उक्त आराजी बेचकर कब्जा संभला कर, अपनी कर दी थी और जमीन पर कभी कब्जा नहीं रखा। यह कि भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत कब्जेधारी को उपस्थिति का 1 नोटिस देना जरूरी है, एवं कानूनन रूप से प्रतिवादीगण मुआवजा पाप्त करने के अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

नहीं है, क्योंकि उन्होंने उक्त जमीन में अपना अधिकार खो दिया है। धारा 85 टेनेन्सी एक्ट में प्रतिवादीगण के प्रावधानों के अनुसार वादी से कानून कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि उनके कब्जे को 12 साल से ज्यादा हो गये है, यह कि माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, क्योंकि भूमि का क्षेत्राधिकार में स्थित है और प्रकरण राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने से सम्बंधित है। यह कि प्रतिवादी कम 2 ता 4 नाबालिक नहीं है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा बहस में अपने प्रार्थनापत्र व जवाब प्रार्थनापत्र के कथनो को दोहराया। प्रार्थनापत्र पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व दस्तावेजों का मनन व अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र व जवाब प्रार्थनापत्र में विवादित भूमि को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वज से जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया जाना आलेखित किया है तथा गैंता माखीदा पुलिया में भूमि की अवाप्ति पर आपत्ति प्रस्तुत की है, तथा प्रतिवादीगण द्वारा वाद के जवाब व प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि अनुसूचित जनजाति द्वारा सवर्ण जाति को किया गया तथा कथित विक्रय पत्र विधि विरूद्व है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने चलने योग्य नहीं है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा दिलवाने हेतु माननीय न्यायालय से अनुतोष मांगा गया है। जिसको प्रदान करने का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के कथनानुसार अवाप्ति प्रकरण में सक्षम प्राधिकृत अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा राशि निर्धारण प्रतिवादीगण के पक्ष में कर दिया जाना प्रकट होता है अवाप्ति की मुआवजा राशि का निर्धारण करने का अधिकार सक्षम अवाप्ति अधिकारी को है अवाप्ति अधिकारी के आदेश के विरूद्व इस न्यायालय को अनुतोष प्रदान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र की मद न0 2 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि खातेदार बद्री पुत्री गौरीशंकर मीणा द्वारा उक्त वर्णित कृषि आराजी खसरा नम्बर 105 रकबा 8 बीधा 5 बिस्वा वाके माल ग्राम गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. को जर्ये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1972 द्वारा वादीगणों को बेचान कर दिया गया था तथा मौके पर कब्जा संभला दिया गया था। चूँकि वादीगण कीर जाति के है जो कि अन्य पिछड़ावर्ग में आती है तथा प्रतिवादीगण मीना जाति के है जो कि अनुसूचित जनजाति में आती है। प्रकरण में वादीगण के कथन से प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण पूर्वज खातेदार बद्री द्वारा किया गया बेचान अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा अनुसूचित जनजाति से भिन्न जाति के व्यक्ति के पक्ष में किया गया है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक–07.06.1972 अनुसूचित जनजाति के द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति के पक्ष में किया गया है के सम्बन्ध में चाहा गया अनुतोष प्रदान किये जाने योग्य नहीं है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 में स्पष्ट रूप से व्यवस्था है कि– धारा 42. General restrictions on sale, gift and bequest— The sale, gift or bequest by a Khatedar tenants

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

of his interest in the whole or part of his holding shall be void, if —

(a) Omitted.

(b) such sale, gift or bequest is by a number of Scheduled Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled Caste, or by a member of a Scheduled Tribe in favour of a person who in not a member of the Scheduled Tribe.

इस प्रकार अनुसूचित जनजाति की भूमि केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही खरीद सकता है प्रश्नगत वाद में प्रश्नगत बेचान अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा अनुसूचित जनजाति से भिन्न जाति के व्यक्ति के पक्ष में किया गया है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत व शून्य है। वादीगण द्वारा वाद में गैंता माखीदा पुलिया में भूमि अवाप्ति सम्बन्धित आपत्तियां व अनुतोष भी न्यायालय से चाहा है यदि वादीगण को किसी अवाप्ति से प्रभावित है तो वादीगण को अवाप्ति के सम्बन्ध में सक्षम अवाप्ति अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी वादीगण द्वारा वाद में चाहे गये अवाप्ति व मुआवजा अनुतोष को प्रदान करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार भी प्राप्त नहीं है। वादीगण का वाद विवादित आराजी के सम्बन्ध में वादीगण के वाद में आलेखित कथनों से प्रथम दृष्टया ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता है जो कि विधि द्वारा वर्जित है तथा वादीगण द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में चाहा गया मुआवजा सम्बन्धित अनुतोष भी इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त नहीं किया जा सकता है, ऐसी परिस्थिति में वाद में कोई वाद हेतुक भी उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है। सी0पी0सी0 के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट प्रावधान है कि–

ORDER 7, RULE 11 CPC , 11. Rejection of plaint. The plaint shall be rejected in the following cases-

(a) where it does not disclose a cause of action;
(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law:

Provided that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature form correcting the valuation or supplying the requisite stamp-paper, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

प्रश्नगत वाद में वादीगण द्वारा किये कथनों से प्रथम दृष्टया स्पष्टतया प्रतीत होता है कि वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत है तथा विधि द्वारा वर्जित है तथा वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है इस वाद कारण का इस न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार भी नहीं है इस कारण वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई उचित वाद हेतुक भी प्रकट नहीं करता है ।

उपरोक्त विवेचन से वादीगण के वादपत्र के कथनों से वादीगण का वाद विधि विरूद्व होने तथा न्यायालय को श्रवणधिकार व श्रेत्राधिकार नहीं होने तथा वाद कारण के गठन के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रतिवादीगण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 एंव धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज
दिनांक–31 / 07 / 2023 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

"1"

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

उनवान

1. हेमराज पुत्र श्री चंदालाल, जाति कीर, निवासी गैंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
2. अमोलकचंद पुत्र श्री चंदालाल, जाति कीर, निवासी गैंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
3. मोहनलाल पुत्र श्री हरदेव, जाति कीर, निवासी गैंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
4. राजू पुत्र श्री सीताराम, जाति कीर, निवासी गैंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
5. ग्यारसीबाई पुत्री श्री सीताराम, जाति कीर, निवासी गैंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
6. पारी बाई पुत्री श्री सीताराम, जाति कीर, निवासी गैंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
7. नारायण पुत्र हरदेव, जाति कीर, निवासी गैंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र श्री रामरतन, जाति मीणा, निवासी फतेहपुर, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
2. रोहित पुत्र श्री देशराज, जाति मीणा, निवासी फतेहपुर, तहसील–पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
3. मेनका पुत्री श्री देशराज, जाति मीणा, निवासी फतेहपुर, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
4. शिवानी पुत्री श्री देशराज, जाति मीणा, निवासी फतेहपुर, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
5. किशकिन्धा बेवा देशराज, जाति मीणा, निवासी फतेहपुर, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

वाद अर्न्तगत धारा –88,89,188 आर.टी.एक्ट

मिसल नं0 54 / 2018

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि– **प्रतिवादीगण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 एंव धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तदनुसार डिकी जारी हो।**

मेरे दस्तखत व मोहर से आज **31.07.2023** को जारी किया जाता है।

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	रूपये
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
मेहनताना वकील	0	0	मेहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा